

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।



1/55/2017

ई०पी०न०-50-06

क्रमांक- 55/2017

आरबीई. सं०-23/2017

सं० ई/575/1/भाग-दस/चार

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

महाप्रबन्धक
उपस्थित
19/4/17

दिनांक 4-04-2017

विषय:-रेलवे के आवास को न लेने/सरेण्डर करने की स्थिति में मकान किराए
भत्ते की स्वीकार्यता।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं०ई (पी एण्ड ए)।।-2015/एचआरए-6 दिनांक
16.03.2017 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

04.04.17

(ए० के० सिंह)

उपमुकाधि/अराज

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर०-02 प्रतियों में।
- 5- मुकाय्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. ई(पीएंडए)॥-2015/एचआरए-6

आरबीई नं. 23/2017
नई दिल्ली, दिनांक 16.02.2017

महाप्रबंधक (कार्मिक)/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें
एवं उत्पादन इकाइयां आदि.

विषय: रेलवे के आवास को न लेने/सरेण्डर करने की स्थिति में मकान किराए भत्ते की स्वीकार्यता।

उत्तर पश्चिम रेलवे से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें, किसी रेलवे कर्मचारी द्वारा रेलवे के आवास को न लेने/सरेण्डर कर दिए जाने की स्थिति में मकान किराए भत्ते की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस मामले से संबंधित दिशा-निर्देशों के आलोक में रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय के परामर्श से इस कार्यालय में इस मामले की जांच की गई और विचार किया गया। इस संबंध में, उल्लेखनीय है कि रेलवे के आवास को न लेने/सरेण्डर कर दिए जाने की स्थिति में मकान किराए भत्ते की स्वीकार्यता के संबंध में दिनांक 16.05.1988 के पत्र सं. ई(पीएंडए)॥-87/एचआरए-15 के प्रावधान अभी भी लागू हैं। बहरहाल, रेलवे कर्मचारी द्वारा उसकी पात्रता से भिन्न श्रेणी के किसी क्वार्टर को अस्वीकार किया जाना, उस स्थिति को छोड़कर जब उसने अपनी परिलब्धियों के कारण प्राप्त पात्रता से एक श्रेणी नीचे का विकल्प दिया हो और जब वह अपने आवेदन के आधार पर आवंटित ऐसे आवास को लेने से मना कर दे, इन आदेशों के प्रयोजन के लिए अस्वीकार किया जाना नहीं माना जाएगा।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

3. कृपया पावती दें।

सो. सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)

उप निदेशक/ई(पीएंडए)॥,
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पीएंडए)॥-2015/एचआरए-6

नई दिल्ली, दिनांक 16.02.2017

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियां सहित)

सं. ई(पीएंडए)॥-2015/एचआरए-6

नई दिल्ली, दिनांक 16.02.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- (1) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।
- (2) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ
- (3) महानिदेशक अ.अ.मा.सं., लखनऊ
- (4) निदेशक (क) इरीन, नासिक (ख) इरिसेन, पुणे (ग) इरिमी, जमालपुर (घ) इरिसेट, सिकन्दराबाद
- (5) प्रिंसिपल, रेलवे स्टाफ कॉलेज (वडोदरा)।
- (6) अध्यक्ष, आरसीसी, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली
- (7) अध्यक्ष, आरआरटी, चैन्नै।
- (8) अध्यक्ष, आरसीटी, दिल्ली।

11) 3/55/2017

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD

RBE No. 23/2017

No. E(P&A)II-2015/HRA-6

New Delhi, dated 16.03.2017.

The General Managers(PY)CAOs,
All Indian Railways
and Production Units etc.

Sub: Admissibility of HRA in the event of non-acceptance/surrender of
Railway residential accommodation.

A reference from North Western Railway was received for clarification on the issue of admissibility of HRA in the event of non-acceptance/surrender of railway residential accommodation by a railway employee. The matter was examined and considered in this office in the light of policy guidelines on the issue in consultation with the Finance Directorate of Railway Board. In this connection, it is stated that the provisions of letter No. E(P&A)II-87/HRA-15 dated 16.05.1988 still hold good regarding admissibility of House Rent Allowance (HRA) in the event of non-acceptance/surrender of Railway residential accommodation. However, refusal by a Railway servant of a quarter of a different class from that for which he is eligible shall not constitute refusal for the purpose of these orders unless he has the option to apply for accommodation of a class next below the one to which he is entitled by virtue of his emoluments and he refuses such accommodation when allotted on the basis of his application.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Please acknowledge receipt.

(Salim Md. Ahmed)
Deputy Director/E(P&A)II,
Railway Board.

No. E(P&A)II-2015/HRA-6

New Delhi, dated 16.03.2017.

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi

For Financial Commissioner/Railways.

No. E(P&A)II-2015/HRA-6

New Delhi, dated 16.03.2017.

Copy to :-

- (1) The FA & CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.
- (2) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.
- (3) Director General RDSO Lucknow.
- (4) The Director (a) IRIEN, Nasik, (b) IRICEN, Pune, (c) IRIMEE, Jamalpur, (d) IRISSET, Secunderabad

Contd...2/-